

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 142/2026 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

रामस्वरुप पुत्र रेवंताराम जाति जाट साकिन खोड़ा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. गौरादेवी पत्नी रेवंताराम जाति जाट साकिन खोड़ा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. शारदा पुत्री रेवंताराम पत्नी बलराम जाति जाट साकिन पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ
3. कृष्ण पुत्र रेवंताराम जाति जाट साकिन खोड़ा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. भोमाराम पुत्र रेवंताराम जाति जाट साकिन खोड़ा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
5. दलीप पुत्र रेवंताराम जाति जाट साकिन खोड़ा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
7. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी
श्री दिनेश भादू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6, 7

निर्णय दिनांक- 30.3.2026

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादी द्वारा दिनांक 23.03.2026 को विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये वकील पेश किया गया कि चक 1 सी.एल.डी. के प0 न0 12/36 (20) के किला नम्बर 13/1, 13/2, 18, 23/2 की 0.721 है0 व चक 1 के.एच.डी. के प0 न0 11/45 (15) के किला नम्बर 16/1 की 0.127 है0 प0 न0 11/53 (14) के किला नम्बर 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1 की 0.632 है0 = 0.759 है0 चक 109 आर.डी. के प0 न0 31/49 (16) के किला नम्बर 16/1 की 0.063 है0 प0 न0 31/57 (17) के किला नम्बर 18, 19, 20/2, 21/3, 22/2, 23/2 की 1.341 है0 प0 न0 31/59 (31) के किला नम्बर 1/3, 1/4, 2/1, 2/2 की 0.455 है0 = 1.859 है0 रोही मौजा मानकेरिया के खसरा संख्या 161/13 की 6.323 है0 भुमि वादी के पिता रेवंताराम (रेवंतराम) के अकेले के नाम से व रोही मौजा मानकेरिया के ही दुसरे खाता के खसरा संख्या 151/89 की 5.969 है0 37 की 1.619 है0 कुल 7.588 है0 भुमि में 1/4 हिस्सा में वादी के पिता के नाम से मुश्तर्का खाता में भुमि खातेदारी बतौर सयुक्त हिन्दुकर्ता खानदान के नाम दर्ज कागजात है। अब वादी के पिता रेवंताराम (रेवंतराम) का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान प्रथम श्रेणी के वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 है इसलिये पिता के नाम की उक्त भुमि के वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 ब0ही0ब0 के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार हुऐ। उपरोक्त वर्णित आराजी पैत्रक भुमि है तथा पिता के फौत होने के बाद उक्त भुमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 की है लेकिन प्रतिवादी स0 1 व 2 उक्त भुमि मे से अपना हक व हिस्सा लेना चाहती है तथा इन्होने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग पुर्व में ही प्राकृतिक

3. प्रतिवादी स० 4 भोमाराम को चक 1 के.एच.डी. के प० न० 11/53 (14) के किला नम्बर 18/1 की 0.017 है० पश्चिमी पासा 19/1 की 0.126 है० 20/1 की 0.126 है० = 0.269 है० प० न० 11/45 (15) के किला न० 16/1 की 0.095 है० उतरी पासा चक 109 आर.डी. के प० न० 31/57 (17) के किला न० 18 की 0.068 है० पश्चिमी पासा 23/2 की 0.062 है० पश्चिमी पासा 19 की 0.116 है० पूर्वी पासा 22/2 की 0.105 है० पूर्वी पासा प० न० 31/59 (31) के किला नम्बर 1/3 की 0.051 है० उतरी पासा 1/4 की 0.025 है० खाला 2/1 की 0.038 है० उतरी पश्चिमी पासा = 0.560 है० कुल 0.829 है० भूमि का खातेदार,
4. प्रतिवादी स० 5 दलीप को चक 1 सी.एल.डी. के प० न० 12/36 (20) के किला नम्बर 23/2 की 0.215 है० 18 की 0.145 है० दक्षिणी पासा = 0.360 है० चक 109 आर.डी. के प० न० 31/57 (17) के किला न० 19 की 0.116 है० उतरी पश्चिमी पासा 20/2 की 0.172 है० उतरी पासा प० न० 31/49 (16) के किला न० 16/1 की 0.063 है० प० न० 31/59 (31) के किला नम्बर 2/1 की 0.089 है० उतरी पूर्वी पासा 2/2 की 0.025 है० खाला = 0.465 है० कुल 0.825 है० व रोही मौजा मानकेरिया के खसरा संख्या 151/89 की 5.969 है० खसरा स० 37 की 1.619 है० कुल 7.588 है० भूमि में वादी के पिता रेवंताराम की दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमि का खातेदार
5. वादी रामस्वरूप व प्रतिवादी स० 3 कृष्ण व 4 भोमाराम को ब हिस्सा बराबर रोही मौजा मानकेरिया के खसरा स० 161/13 की 6.323 है० भूमि के खातेदार,
6. वादी रामस्वरूप व प्रतिवादी सं. 4 भोमाराम 5 दलीप को ब हिस्सा बराबर चक 109 आर.डी. के प० न० 31/59 (31) के किला न० 2/1 की 0.038 है० दक्षिणी पासा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 50.3.2026को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं,
सपखण्ड अधिकासी
रावतसर
रावतसर